अनुदान संख्या 50 – पुलिस
GRANT No. 50 – POLICE

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*				
मूल	*Original*	*8,02,00*	*11,12,00*	*6,08,29*	*-5,03,71*
पूरक	*Supplementary*	*3,10,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	95424,05,00	102349,38,00	100708,05,20	-1641,32,80
पूरक	Supplementary	6925,33,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				852,15,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged-*				
मूल	*Original*	*8,32,00*	*9,92,00*	*4,57,63*	*-5,34,37*
पूरक	*Supplementary*	*1,60,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*1,02,00*
स्वीकृत	Voted-				
मूल	Original	9721,72,00	9721,75,00	7325,11,22	-2396,63,78
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2010,57,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में समग्र बचतें *(₹503.71 लाख)* दिसम्बर 2021 में प्राप्त किए गए ₹310.00 लाख के पूरक *विनियोग* से अधिक है और यह कुल स्वीकृत *विनियोग* का 45 प्रतिशत है।

(I) चार शीर्षों में ₹*100.00 लाख* का *विनियोग* पूरी तरह अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2055" – "सीमा सुरक्षा बल – सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय" के अंतर्गत ₹*240.00 लाख* का मूल *विनियोग* ₹*200,00* लाख का पूरक *विनियोग* प्राप्त कर के ₹*440.00 लाख* तक बढ़ाया गया था, तथापि जो संविदात्मक बाद्ध्यताओं के फालीभूत नहीं होने और बडे भुगतानों में देरी होने के कारण ₹*135.22 लाख* तक अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, समग्र बचत (164132.80 लाख रुपए) जुलाई 2021, दिसम्बर 2021 और मार्च 2022 में प्राप्त ₹692533.00 लाख के पूरक अनुदान का 24 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत है।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआः

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings *(₹503.71 lakhs)* exceeded the supplementary *appropriation* of ₹*310.00 lakhs* obtained in December, 2021 and constituted 45 percent of the total sanctioned *appropriation.*

(I) *Appropriation* of ₹*100.00 lakhs* remained wholly unutilised under four heads.

(II) Under Major Head "2055" - "Border Security Force - Directorate General of Border Security Force" - the original *appropriation* of ₹*240.00 lakhs* was augmented to ₹*440.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of ₹*200.00 lakhs* which, however, remained unutilised to the extent of ₹*153.22 lakhs* - due to non-fructification of contractual obligations and delay in milestone payments.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹164132.80 lakhs) constituted 24 percent of the supplementary grants of ₹692533.00 lakhs obtained in July, 2021, December, 2021 and March, 2022 and 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2055" पुलिस	Major Head "2055" Police				
मू.	O.	9146371.00			
पू.	S.	639531.00	9780151.00	9716062.92	-64088.08
पु.	R.	-5751.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants- in-aid to State Governments				
मू.	O.	297253.00			
पू.	S.	5000.00	202935.00	188120.28	-14814.72
पु.	R.	-99318.00			
मुख्य शीर्ष "3602" विधान मंडल सहित संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants- in-aid to Union Territory Governments With Legislature				
मू.	O.	98781.00			
पू.	S.	48002.00	166637.00	166622.00	-15.00
पु.	R.	19854.00			

(I) नौ शीर्षों के अंतर्गत ₹1361.00 लाख रुपए का प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2055" के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाये गए अनुसार पूरी तरह अप्रयुक्त रहाः–

(का) "निदेशन और प्रशासन"

(क) "आसूचना ब्यूरो" – ₹275544.00 लाख रुपए का मूल प्रावधान ₹4045.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹279589.00 लाख रुपए तक बढाया गया। तथापि, ₹28938.34 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत पदों को नहीं भरे जाने, कार्य की धीमी प्रगति, नए भर्ती किए गए व्यक्तियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने में देरी, प्रस्तावों को मूर्त रूप नहीं दिये जाने, आईबी/एसीआईओ परीक्षा आयोजित नहीं होने और कोविड 19 महामारी के कारण आईबी अफसरों के कम स्थानांतरण/आवाजाही के कारण हुई।

(I) Provision of ₹1361.00 lakhs remained wholly unutilised under nine heads.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2055" - remained wholly unutilised under the following heads as shown against each :-

(A) "Direction and Administration" -

(a) "Intelligence Bureau" - the original provision of ₹275544.00 lakhs was augmented to ₹279589.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹4045.00 lakhs. However, there was a saving of ₹28938.34 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, slow pace of work, delay in joining by new recruits, non-materialization of proposals, non-conduction of IB/ACIO exam and less transfer/movement of IB officers owing to COVID-19 pandemic.

(ख) "आप्रवासन ब्यूरो" – ₹57510.00 लाख का मूल प्रावधान ₹7350.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹64860.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, ₹12258.91 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, भर्ती प्रक्रिया में देरी, नए भर्ती किए गत व्यक्तियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने मे देरी, कार्य पूरा नहीं होने, और कम संविदा कर्मचारियों को लेने के कारण हुई।

(b) "Bureau of Immigration" - the original provision of ₹57510.00 lakhs was augmented to ₹64860.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹7350.00 lakhs. However, there was a saving of ₹12258.91 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up to vacant posts, delay in recruitment process, delay in joining of new recruits, non-completion of work and hiring of less contractual staff.

(ग) "स्वापक नियंत्रण ब्यूरो" – ₹12006..00 लाख का मूल प्रावधान ₹660.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹12666.00 लाख तक बढाया गया। तथापि, ₹888.10 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, जे आई ओ के भरती नियमों को अंतिम रूप नहीं दिये जाने, कम प्रचार, और कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(c) "Narcotics Control Bureau" - the original provision of ₹12006.00 lakhs was augmented to ₹12666.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹660.00 lakhs. However, there was a saving of ₹888.10 lakhs (including supplementary grant) – due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of recruitment rules of JIO, low publicity and less receipt of proposals.

(घ) "राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी" – ₹15761.00 लाख का मूल प्रावधान ₹230.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹15991.00 लाख तक बढाया गया। तथापि, ₹1379.23 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और खरीद प्रस्तावों को मूर्त रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(d) "National Investigation Agency" - the original provision of ₹15761.00 lakhs was augmented to ₹15991.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹230.00 lakhs. However, there was a saving of ₹1379.23 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts and non-materialisation of proposals for procurement.

(खा) "शिक्षा और प्रशिक्षण – राष्ट्रीय पुलिस अकादमी" ₹14530.00 लाख का मूल प्रावधान ₹180.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹14710.00 लाख तक बढाया गया। तथापि, ₹2251.01 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत विदेश में प्रशिक्षण आयोजित नहीं होने, कम व्यावसायियों को लेने, रिक्त पदों को नहीं भरने और कम दौरे करने के कारण हुई।

(B) "Education and Training - National Police Academy" - the original provision of ₹14530.00 lakhs was augmented to ₹14710.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹180.00 lakhs. However, there was a saving of ₹2251.01 lakhs (including supplementary grant) - due to non-conduction of foreign training, hiring of less professionals, non-filling of vacant posts and less tours undertaken.

(गा) "अनुसंधान – पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो" – ₹4498.00 लाख का मूल प्रावधान ₹133.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹4631.00 लाख तक बढाया गया। तथापि, ₹1229.22 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और पदाधिकारियों की कम यात्राओं के कारण हुई।

(C) "Research - Bureau of Police Research & Development" - the original provision of ₹4498.00 lakhs was augmented to ₹4631.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹133.00 lakhs. However, there was a saving of ₹1229.22 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts and less visit of dignitaries.

(घा) "अपराध अन्वेषण और सतर्कता – केंद्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला" – ₹4721.00 लाख का मूल प्रावधान ₹522.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹5243.00 लाख तक बढाया गया। तथापि, ₹951.50 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और कम व्यावसायियों को लेने के कारण हुई।

(D) "Criminal Investigation and Vigilance - Central Forensic Science Laboratory" - the original provision of ₹4721.00 lakhs was augmented to ₹5243.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹522.00 lakhs. However, there was a saving of ₹951.50 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts and hiring of less professionals.

(ड.) "असम राइफल्स – स्थापना और प्रशासन" – ₹589498.00 लाख का मूल प्रावधान ₹6398.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹595896.00 लाख तक बढाया गया। तथापि, ₹6688.11 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत प्रस्तावों को मूर्त रूप नहीं देने और कार्य की धीमी प्रगति/काम पूरा नहीं होने के कारण हुई।

(E) "Assam Rifles - Establishment and Administration" - the original provision of ₹589498.00 lakhs was augmented to ₹595896.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹6398.00 lakhs. However, there was a saving of ₹6688.11 lakhs (including supplementary grant) - due to non-materialisation of proposals, and slow pace/non-completion of work.

(चा) "विशेष पुलिस – भारतीय साइबर समन्वय केंद्र" – ₹6980.00 लाख का मूल प्रावधान ₹553.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹7533.00 लाख तक बढाया गया। तथापि, ₹5293.73 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत कोविड – 19 लाकडाउन के कारण प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम नहीं चलाये जाने, प्रस्तावों को मूर्त रूप नहीं देने और कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।

(F) "Special Police - Indian Cyber Coordination Centre" - the original provision of ₹6980.00 lakhs was augmented to ₹7533.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹553.00 lakhs. However, there was a saving of ₹5293.73 lakhs (including supplementary grant) - due to non-conduction of training awareness programmes owing to COVID-19 lockdown, non-materialisation of proposals and slow pace of work.

(छा) "वायरलेस और कंप्यूटर – अंतर–राज्य पुलिस वायरलेस स्कीम" – ₹7560.00 लाख का मूल प्रावधान ₹410.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹7970.00 लाख तक बढाया गया। तथापि, ₹673.74 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत कोविड – 19 महामारी के कारण छुट्टी यात्रा रियायत के कम दावे प्राप्त होने और प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को प्रत्यावर्तित करने के कारण हुई।

(G) "Wireless and Computers - Inter-State Police Wireless Scheme" - the original provision of ₹7560.00 lakhs was augmented to ₹7970.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹410.00 lakhs. However, there was a saving of ₹673.73 lakhs (including supplementary grant) - due to receipt of less claims towards leave travel concession owing to COVID-19 pandemic and repatriation of deputationists.

(जा) "विशेष संरक्षण ग्रुप – स्थापना" – ₹35025.00 लाख का मूल प्रावधान ₹481.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹35506.00 लाख तक बढाया गया। तथापि, ₹5220.78 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत पदों में कमी करने, प्रस्तावों को मूर्त रूप नहीं देने, रिक्त पदों को नहीं भरने, पदाधिकारियों की कम यात्राओं, कम यात्राओं और कोविड 19 महामारी के कारण छुट्टी यात्रा रियायत के कम दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(H) "Special Protection Group - Establishment" - the original provision of ₹35025.00 lakhs was augmented to ₹35506.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹481.00 lakhs. However, there was a saving of ₹5220.78 lakhs (including supplementary grant) - due to reduction in the strength, non-materialisation of proposals, non-filling up of vacant posts, less visit of dignitaries, less tours undertaken and receipts of less claims towards leave travel concession owing to COVID-19 pandemic.

(झा) "अन्य व्यय – आंसू गैस सामग्री की कम खरीद, निर्माण और वितरण" – ₹4792.00 लाख का मूल प्रावधान ₹203.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹4995.00 लाख तक बढाया गया। तथापि, ₹310.47 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं देने के कारण हुई।

(I) "Other Expenditure - Purchase, Manufacture and Distribution of Tear Smoke Material" - the original provision of ₹4792.00 lakhs was augmented to ₹4995.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹203.00 lakhs. However, there was a saving of ₹310.47 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalisation of proposals.

(III) मुख्य शीर्ष 2055 के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दी गई सीमा तक अप्रयुक्त रहाः

(III) Supplementary grant obtained under Major Head "2055" remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each: -

(का) "औद्योगिक सुरक्षा बल – निदेशन और प्रशासन" – ₹108559.00 लाख का मूल प्रावधान ₹1193609.00 लाख रुपए तक बढाया गया जो तथापि, ₹7216.12 लाख की सीमा तक कम दावों के प्राप्त होने, कार्य की धीमी गति, प्रस्तावों को मूर्त रूप न देने, और किराये के तौर पर कम निधियों की आवश्यकता के कारण अप्रयुक्त रहा।

(A) "Industrial Security Force - Direction and Administration" - the original provision of ₹1085559.00 lakhs was augmented to ₹1193609.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹7216.12 lakhs - due to receipt of less claims, slow pace of work, non-materialisation of proposals and requirement of less funds towards rent.

(खा) "सशस्त्र सीमा बल – स्थापना" – ₹638256..00 लाख का मूल प्रावधान ₹689412.00 लाख तक बढाया गया जो तथापि, ₹687.91 लाख की सीमा तक कुछ मुख्य उत्पादों को मूर्त रूप न देने और रिक्त पदों को न भर पाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(B) "Sashastra Seema Bal - Establishment"- the original provision of ₹638256.00 lakhs was augmented to ₹689412.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹687.92 lakhs - due to non-materialization of some major projects and non-filling up of vacant posts.

(गा) "सीमा प्रबंधन"

(C) "Border Management" –

(क) "भारत–बंगलादेश सीमा कार्य" – ₹8897.00 लाख का मूल प्रावधान ₹13063.00 लाख तक बढ़ाया गया जो तथापि ₹417.44 लाख की सीमा तक तक अप्रयुक्त रहा; और

(a) "Indo - Bangladesh Border Works"- the original provision of ₹8897.00 lakhs was augmented to ₹13063.00 lakhs which, however, remained unutilied to the extent of ₹417.44 lakhs; and

(ख) "भारत – पाक सीमा कार्य" ₹8896..00 लाख का मूल प्रावधान ₹11703.00 लाख तक बढाया गया जो तथापि ₹441.18 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) "Indo - Pak Border Works"- the original provision of ₹8896.00 lakhs was augmented to ₹11703.00 lakhs which, however, remained unutilied to the extent of ₹441.18 lakhs.

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत विभिन्न प्राधिकरणों से दावों का निपटान नहीं होने/दावे प्राप्त नहीं होने के कारण हुईं ।

Savings under the above two heads were due to non-settlement/non-receipt of claims from various authorities.

(IV) मुख्य शीर्ष "2055" – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईः

(IV) Under Major Head "2055" – savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन"–

(A) "Direction and Administration" -

(क) "केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का विभागीय लेखा संगठन" – ₹1334.25 लाख रुपए की कुल बचत (₹30.00 लाख रुपए के पूरक अनुदान सहित ₹12594.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कोविड 19 के कारण छुट्टी यात्रा रियायत के कम दावे प्राप्त होने, कम यात्रा करने और परीक्षा आयोजित नहीं करने के कारण हुई।

(a) "Departmental Accounting Organisation of Central Armed Police Forces" - saving of ₹1334.25 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹12594.00 lakhs including supplementary grant of ₹30.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims towards leave travel concession owing to COVID-19 pandemic, less tours undertaken and non-conduction of exams.

(ख) "राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड" – ₹1301.02 लाख रुपए की कुल बचत (₹3983.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्तमान परामर्शदाताओं की संख्या में कमी होने, नए परामर्शदाताओं को न लेने, प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने, कार्य की धीमी गति और कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) "National Intelligence Grid" - saving of ₹1301.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3983.00 lakhs) was due to decrease in existing consultants, non-hiring of new consultants, non-finalisation of proposals, slow pace of work and receipt of less claims.

(खा) "शिक्षा और प्रशिक्षण" –

(B) "Education and Training" -

(क) "केंद्रीय खोज प्रशिक्षण स्कूल" – ₹600.02 लाख की कुल बचत (₹13.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹2730.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड 19 महामारी के कारण आनलाइन पाठ्यक्रम चालू करने, कम परामर्शदाताओं को लेने और कुछ प्रस्तावों को मूर्त रूप न देने के कारण हुई।

(a) "Central Detective Training School" - saving of ₹600.02 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2730.00 lakhs including supplementary grant of ₹13.00 lakhs) was due to conduction of online courses owing to COVID-19 pandemic, hiring of less consultants and non-materialisation of some proposals.

(ख) "उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी" – ₹803.04 लाख की कुल बचत (₹51.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹3563..00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वी आर एस के अपेक्षाकृत अधिक ममलों, प्रतिनियुक्ति पर आये व्यक्तियों के प्रत्यावर्तन, कम विदेशी दौरे करने, कम व्यावसायियों को लेने, और कोविड–19 महामारी के कारण कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(b) "North Eastern Police Academy" - saving of ₹803.04 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3563.00 lakhs including supplementary grant of ₹51.00 lakhs) was due to more cases of VRS, repatriation of persons on deputation, less foreign tours undertaken, hiring of less professionals and slow pace of work owing to COVID-19 pandemic.

(ग) "केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी" – ₹1052.44 लाख की कुल बचत (₹5.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹2685.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम श्रमशक्ति को लेने और प्रस्तावों को मूर्त रूप नहीं देने के कारण हुई।

(c) "Central Academy for Police Training" – saving of ₹1052.44 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2685.00 lakhs including supplementary grant of ₹5.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, hiring of less manpower and non-materialisation of proposals.

(गा) "अपराध जांच और सतर्कता – निर्भया निधि से स्कीमों का वित्तपोषण" – ₹1115.11 लाख की कुल बचत (₹1822.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावे प्राप्त होने, बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त न होने, कार्य की धीमी गति और प्रस्तावों को मूर्त रूप नहीं देने के कारण हुई।

(C) "Criminal Investigation and Vigilance - Schemes Financed from Nirbhaya Fund" -saving of ₹1115.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1822.00 lakhs) was due to receipt of less claims, non-receipt of proposals from UTs without legislature, slow pace of work and non-materialisation of proposals.

(घा) "विशेष पुलिस – अनुसंधान" – ₹24212.34 लाख की कुल बचत (₹83463..00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों और संविदात्मक वचन बद्धताओं के फलीभूत नहीं होने के कारण हुई।

(D) "Special Police – Research" - saving of ₹24212.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹83463.00 lakhs) was due to non-fructification of proposals and contractual obligations.

(ड.) "राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड – स्थापना" – ₹11411.43 लाख की कुल बचत (₹7.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹111344.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीडीए से वेतन के अपेक्षाकृत कम प्रस्ताव प्राप्त होने, कम यात्रायें करने और प्रस्तावों को मूर्त रूप नहीं देने के कारण हुई।

(E) "National Security Guard - Establishment" - saving of ₹11411.43 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹111344.00 lakhs including supplementary grant of ₹7.00 lakhs) was due to receipt of less claims towards salaries from CDAs, less tours undertaken and non-materialisation of proposals.

(चा) "पुलिस कर्मी कल्याण – केंद्रीय पुलिस संगठनों का कल्याण अनुदान" – ₹3358.20 लाख की कुल बचत (₹9000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावे प्राप्त होने, कार्य की धीमी गति और प्रस्तावों को मूर्त रूप नहीं देने के कारण हुई।

(F) "Welfare of Police Personnel - Welfare Grant of Central Police Organisations"- saving of ₹3358.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9000.00 lakhs) was due to receipt of less claims, slow pace of work and non-materialisation of proposals.

(छा) "वायरलेस और कंप्यूटर – राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो" – ₹2020.00 लाख की कुल बचत (₹6827.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को मूर्त रूप नहीं देने और वेतन के अपेक्षाकृत कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(G) "Wireless and Computers - National Crime Records Bureau" - saving of ₹2020.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6827.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals and receipt of less salary bills.

(जा) "पुलिस बलों का आधुनिकीकरण – पुलिस और अन्य बलों के आधुनिकीकरण की राष्ट्रीय योजना" – ₹3612.94 लाख की कुल बचत (₹4801.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को मूर्त रूप नहीं देने के कारण हुई।

(H) "Modernisation of Police Force - National Scheme for Modernisation of Police and other Forces" – saving of ₹3612.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4801.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals.

(झा) "दिल्ली पुलिस – दिल्ली पुलिस के परिवहन और संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण" – ₹775.00 लाख की कुल बचत (₹1600.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड 19 महामारी के कारण विज्ञापनों के कम प्रकाशन के कारण हुई।

(I) "Delhi Police - Modernisation of Traffic & Communication Network of Delhi Police" - saving of ₹775.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1600.00 lakhs) was due to less publication of advertisment owing to COVID-19 pandemic.

(ञ) "अन्य व्यय – निर्भया निधि परियोजना" – ₹1152.90 लाख की कुल बचत (₹3501.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापनों के कम प्रकाशन और प्रस्तावों को मूर्त रूप नहीं देने के कारण हुई।

(J) "Other Expenditure - Nirbhaya Fund Project" – saving of ₹1152.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3501.00 lakhs) was due to less publication of advertisement and non-materialisation of proposals.

(V) मुख्य शीर्ष 3601 के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :

(V) Under Major Head "3601"- savings occurred under the following heads: -

(का) "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें – ''केंद्रीय सहायता/हिस्सा" –

(क) "पुलिस बलों का आधुनिकीकरण" – ₹46562.43 लाख की बचत (₹190240.00 लाख के स्वीकृत प्रस्तावों की तुलना में) हुई; और

(ख) "सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम" – ₹36536.00 लाख की बचत (₹56536.00 लाख के स्वीकृत प्रस्तावों की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत राज्यों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता" –

(क) "पुलिस संबंधी व्यय के लिए अनुदान/प्रतिपूर्ति" – ₹660.00 लाख की बचत (₹9000.00 लाख के स्वीकृत की तुलना में) राज्य कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई ।

(ख) "निर्भया निधि से वित्तपोषित योजनायें" – ₹29593.65 लाख की बचत (₹40577.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कम निधि की आवश्यकता और राज्यों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई ।

(VI) मुख्य शीर्ष "3602" – "विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – निर्भया निधि से वित्त पोषित योजनायें" – ₹28433.00 लाख की बचत (₹28445.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिल्ली कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम निधि के उपयोग के कारण हुई।

(VII) ₹1670.36 लाख की बचत पांच शीर्षों के अंतर्गत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु 500.00 लाख रुपए से कम और कुल स्वीकृत प्रावधान के 32 प्रतिशत से 79 प्रतिशत तक थी।

(A) "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share"-

(a) "Modernisation of Police Forces" - saving of ₹46562.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹190240.00 lakhs) ; and

(b) "Border Area Development Programme" - saving of ₹36536.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹56536.00 lakhs).

Savings under the above two heads were was due to receipt of less claims from states.

(B) "Other Transfer/Grants to States - Special Assistance" -

(a) "Grants/Re-imbursement for Police Related Expenses" - saving of ₹660.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the State implementing agencies.

(b) "Schemes Financed from Nirbhaya Fund" - saving of ₹29593.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40577.00 lakhs) was due to requirement of less funds by state implementing agencies and receipt of less proposals from states.

(VI) Under Major Head "3602" - "Other Transfer/Grants to Union Territory Governments with Legislature - Special Assistance - Schemes Financed from Nirbhaya Fund" - saving of ₹28433.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28445.00 lakhs) was due to utilisation of less funds by Delhi implementing agencies.

(VII) Under five heads savings of ₹1670.36 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 32 percent to 79 percent of the total sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹121130.00 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹639532.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :–

(का) "मुख्य शीर्ष "2055"–

(क) "केंद्रीय रिजर्व पुलिस – स्थापना" – ₹13237.00 लाख रुपए। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹6759.93 लाख था।

(ख) "सीमा सुरक्षा बल – सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय" – ₹17203.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹14273.42 लाख था।

(ग) "दिल्ली पुलिस – निदेशन और प्रशासन" – ₹14917.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹10343.40 लाख था।

(घ) "सीमा प्रबंधन" –

(i) "भारस्तीय भूमि पत्तन प्राधिकरण को अनुदान" – ₹25800.00 लाख। तथापि, अधिक व्यय, ₹23476.58 लाख था।

(ii) "सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम – प्रशासनिक व्यय" – ₹1599.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1586.09 लाख था।

(ख) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – पुलिस बलों का आधुनिकीकरण" – ₹48374.00 लाख।

(II) बचतें भी मुख्य शीर्ष "2055" – पुलिस बलों का आधुनिकीकरण – एल डब्ल्यू ई प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हुईं – ₹4381.04 लाख का अधिक व्यय (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वचनबद्ध देयताओं के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण हुआ।

3.(I) The above saving were partly (₹121130.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹639532.00 lakhs under the following major heads:-

(A) "Major Head "2055"-

(a) "Central Reserve Police - Establishment" - ₹13237.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹6759.93 lakhs.

(b) "Border Security Force - Directorate General of Border Security Force" - ₹17203.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹14273.42 lakhs.

(c) "Delhi Police - Direction and Administration" - ₹14917.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹10343.40 lakhs.

(d) "Border Management" -

(i) "Grants to Land Port Authority of India" - ₹25800.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹23476.58 lakhs.

(ii) "Border Area Development Programme - Administrative expenses" - ₹1599.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1586.09 lakhs.

(B) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Modernisation of Police Forces" - ₹48374.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2055" - "Modernisation of Police Force - Assistance to Central Agencies for LWE Management" - excess of ₹4381.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards committed liabilities.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में समग्र बचतें *(₹534.37 लाख)* दिसम्बर 2021 में प्राप्त किए गए ₹*160.00 लाख* के पूरक *विनियोग* से अधिक थीं और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 44 प्रतिशत थी।

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, the overall savings *(₹534.37 lakhs)* exceeded the supplementary *appropriation* of ₹*160.00 lakhs* obtained in December, 2021 and constituted 54 percent of the total sanctioned *appropriation.*

(I) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹*107.00 लाख* का *विनियोग* पूरी तरह अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of ₹*107.00 lakhs* remained wholly unutilised under two heads.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹*255.59 लाख* की हुई बचत स्वीकृत *विनियोग* की 85 प्रतिशत थी।

(II) Under one head saving of ₹*255.59 lakhs* occurred constituting 85 percent of the sanctioned *appropriation.*

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए।

5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "4055" पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4055" Capital Outlay on Police				
मू.	O.	896297.00			
पू.	S.	3.00	771118.00	732511.22	-38606.78
पु.	R.	-125182.00			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	75875.00			
			..	..	..
पु.	R.	-75875.00			

(I) ₹75938.01 लाख का प्रावधान (दिसम्बर 2011 में प्राप्त किए गए ₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) 15 शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह अप्रयुक्त रहा; जिनमें ₹75740.00 लाख की राशि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थी:–

(का) "पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय – असम राइफल्स" –

(क) "आवासीय भवन" – ₹8200.00 लाख;

(ख) "कार्यालय भवन" – ₹10218.00 लाख;

(खा) "पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय – सीमा सुरक्षा बल"–

(क) "आवासीय भवन" – ₹2300.00 लाख;

(ख) "कार्यालय भवन" – ₹2968.00 लाख;

(गा) "पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय – सशस्त्र सीमा बल" –

(क) "आवासीय भवन" – ₹9367.00 लाख;

(ख) "कर्यालय भवन" – ₹7725.00 लाख;

(घा) "पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय – केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – आवासीय भवन" – ₹1000.00 लाख;

(ङा) पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय – सीमा प्रबंधन" –

(क) "भारत–बंगलादेश सीमा निर्माण कार्य" – ₹15762.00 लाख;

(ख) "भारत–चीन सीमा" – ₹15700.00 लाख;

(चा) "भारत – तिब्बत सीमा बल पुलिस" –

(क) "आवासीय भवन" – ₹1000.00 लाख; और

(I) Provision of ₹75938.01 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.01 lakh obtained in December, 2021) remained wholly unutilized under fifteen heads; of these ₹75740.00 lakhs accounted for under major head "4552" under the following heads:-

(A) "Capital Outlay on Police - Assam Rifles" –

(a) "Residential Building" – ₹8200.00 lakhs;

(b) "Office Building" – ₹10218.00 lakhs;

(B) "Capital Outlay on Police - Border Security Force" -

(a) "Residential Building" – ₹2300.00 lakhs;

(b) "Office Building" – ₹2968.00 lakhs;

(C) "Capital Outlay on Police - Sashastra Seema Bal" -

(a) "Residential Building" – ₹9367.00 lakhs;

(b) "Office Building" – ₹7725.00 lakhs;

(D) "Capital Outlay on Police - Central Reserve Police Force-Residential Building" – ₹1000.00 lakhs;

(E) "Capital Outlay on Police - Border Management"-

(a) "Indo-Bangladesh Border Works" – ₹15762.00 lakhs;

(b) "Indo-China Border" – ₹15700.00 lakhs;

(F) "Indo Tibetan Border Police"-

(a) "Residential Building" – ₹1000.00 lakhs; and

(ख) "कार्यलय भवन"– ₹1500.00 लाख

प्रावधान उपर्युक्त ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत उत्तर–पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का कार्यशील शीर्षों मे पुनर्विनियोग किये जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

(II) मुख्य शीर्ष "4055" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई।

(का) "केंद्रीय रिजर्व पुलिस" –

(क) "कार्यालय भवन" – ₹12336.00 लाख की बचत (₹53395.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं देने, कोविड–19 महामारी के कारण कार्य की धीमी गति और प्रस्तावों को मूर्त रूप नहीं देने के कारण निर्माण कार्यों पर कम निधियों की आवश्यकता होने से हुई।

(ख) "आवासीय भवन" – ₹17131.59 लाख की बचत (₹42140.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी गति, कोविड 19 के कारण निर्माण पर एनजीटी रोक और प्रस्तावों को मूर्त रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(ग) "सामान्य" – ₹18411.77 लाख की बचत (दिसम्बर, 2021 में प्राप्त ₹0.01 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹61086.01 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा प्रणाली के माध्यम से वाहनों की खरीद में देरी और प्रस्तावों को मूर्त रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(घ) "आधुनिकीकरण" – ₹7474.58 लाख की बचत (₹8706.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बहुप्रयोजनीय वाहनों की आपूर्ति में देरी और गुणवत्ता रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(b) "Office Building" – ₹1500.00 lakhs.

Provisions under the above eleven heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "4055" – savings occurred under the following heads: -

(A) "Central Reserve Police" -

(a) "Office Buildings" – saving of ₹12336.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹53395.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards construction activities owing to non-finalisation of proposals, slow pace of work owing to COVID-19 pandemic and non-materialisation of proposals.

(b) "Residential Buildings" – saving of ₹17131.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹42140.00 lakhs) was due to slow pace of work, NGT ban on construction owing to COVID-19 and non-materialisation of proposals.

(c) "General" – saving of ₹18411.77 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹61086.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh obtained in December, 2021) was due to delay in procurement of vehicles through bid system and non-materialisation of proposals.

(d) "Modernisation" – saving of ₹7474.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8706.00 lakhs) was due to delay in supply of multi-purpose vehicles and non-finalisation of Quality report.

(खा) "असम राइफल्स" –

(क) "सामान्य" – ₹6804.19 लाख की बचत (जुलाई, 2021 में प्राप्त ₹0.66 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹22500.66 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "आधुनिकीकरण" – ₹3337.48 लाख की बचत (₹4042.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(गा) "सीमा सुरक्षा बल – सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय" – ₹8306.20 लाख की बचत (दिसंबर 2021 में प्राप्त ₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹80911.01 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को मूर्त रूप नहीं दिए जाने और कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(घा) "राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड"–

(क) "कार्यालय भवन" – ₹5183.57 लाख की बचत (₹6869.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(ख) "सामान्य – ₹2327.35 लाख की बचत (₹9040.00 लाख रुपए के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) "आधुनिकीकरण – ₹2993.81 लाख की बचत (₹3150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिये जाने के कारण हुई।

(B) "Assam Rifles" –

(a) "General" - saving of ₹6804.19 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹22500.66 lakhs including token supplementary grant of ₹0.66 lakh obtained in July, 2021); and

(b) "Modernisation" – saving of ₹3337.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4042.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of proposals.

(C) "Border Security Force - Directorate General of Border Security Force" – saving of ₹8306.20 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹80911.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh obtained in December, 2021) due to non-materialisation of proposals and slow pace of work.

(D) "National Security Guard" -

(a) "Office Buildings" - saving of ₹5183.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6869.00 lakhs) was due to non-receipt of revised sanction.

(b) "General" – saving of ₹2327.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9040.00 lakhs); and

(c) "Modernisation" - saving of ₹2993.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3150.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of proposals.

(घ) "आवासीय भवन" – ₹903.85 लाख की बचत (₹2545.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी गति और संशोधित स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(डा) "औद्योगिक सुरक्षा बल" –

(क) "कार्यालय भवन" – ₹7912.62 लाख की बचत (₹16600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "आवासीय भवन" – ₹9817.04 लाख की बचत (₹12300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(ग) "सामान्य" – ₹3313.01 लाख की बचत (₹6162.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी गति और निविदा के माध्यम से उपकरणों की खरीद प्रक्रियाधीन होने के कारण हुई।

(घ) "आधुनिकीकरण" – ₹2417.79 लाख की बचत (दिसम्बर 2021 में प्राप्त ₹0.01 लाख की पूरक अनुदान सहित ₹2447.01 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खरीद प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(चा) "विशेष संरक्षण ग्रुप – सामान्य" – ₹2873..13 लाख की बचत (₹7700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(छा) "अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण" –

(क) "पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो" ₹994.05 लाख की बचत (दिसम्बर, 2021 में प्राप्त ₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1060.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(d) "Residential Buildings" - saving of ₹903.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2545.00 lakhs) was due to slow pace of work and non-receipt of revised sanction.

(E) "Industrial Security Force" -

(a) "Office Buildings" - saving of ₹7912.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16600.00 lakhs); and

(b) "Residential Buildings" - saving of ₹9817.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12300.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to slow pace of work.

(c) "General" – saving of ₹3313.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6162.00 lakhs) was due to slow pace of work and procurement of equipments through tender being under process.

(d) "Modernisation" - saving of ₹2417.79 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2447.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh obtained in December, 2021) was due to non-finalisation of procurement proposals.

(F) "Special Protection Group - General" - saving of ₹2873.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7700.00 lakhs); and

(G) "Research, Education and Training" -

(a) "Bureau of Police Research & Development" - saving of ₹994.05 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1060.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh obtained in December, 2021).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रस्तावों को मूर्त रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "केंद्रीय डिटेक्टिव प्रशिक्षण स्कूल" – ₹2593.35 लाख की बचत (₹2676.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में विलंब होने के कारण हुई।

(ग) "पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी" – ₹920.13 लाख की बचत (दिसम्बर 2021 में प्राप्त ₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1079.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी गति और प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(घ) "केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी" – ₹677.77 लाख की बचत (₹831.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सी सी रोड के निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं होने के कारण हुई।

(ङ) "केंद्रीय सशस्त्र बल आयुर्विज्ञान संस्थान" – ₹10020.31 लाख की बचत (₹30020.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(जा) "सशस्त्र सीमा बल – सामान्य" – ₹1546.99 लाख की बचत (मार्च 2022 में प्राप्त ₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹9062.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(झा) "अन्य पुलिस संगठन"–

Savings under the above two heads were due to non-materialisation of proposals.

(b) "Central Detective Training School" - saving of ₹2593.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2676.00 lakhs) was due to delay in finalisation of proposals.

(c) "North Eastern Police Academy" - saving of ₹920.13 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1079.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh obtained in December, 2021) was due to slow pace of work and non-finalisation of proposals.

(d) "Central Academy for Police Training" - saving of ₹677.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹831.00 lakhs) was due to non-approval of proposal for construction of CC Road.

(e) "Central Armed Police Force Institute of Medical Science" - saving of ₹10020.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30020.00 lakhs);

(H) "Sashastra Seema Bal - General" - saving of ₹1546.99 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9062.20 lakhs including token supplementary grant of ₹0.20 lakh obtained in March, 2022); and

(I) "Other Police Organisation" -

(क) "आंसू गैस सामग्री की खरीद, निर्माण और वितरण" – ₹1087.27 लाख की बचत (1265.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(ख) "समन्वय निदेशालय (पुलिस वायरलेस)" – ₹1560.24 लाख की बचत (₹1620.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) "केंद्रीय अपराध विज्ञान – विज्ञान प्रयोगशाला" – ₹915.67 लाख की बचत (दिसम्बर, 2021 में प्राप्त 0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2010.01 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्य की धीमी गति और प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(घ) "अनुसंधान" – ₹140670.94 लाख की बचत (₹198000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संविदात्मक वचन्बद्धता फलीभूत नहीं होने और राष्ट्रीय सुरक्षा की पूर्ववर्ती संविदाओं के भुगतान नहीं हो पाने के कारण हुई।

(ङ) "स्वापक नियंत्रण ब्यूरो" – ₹790.56 लाख की बचत (दिसम्बर 2021 में प्राप्त ₹0.77 लाख की सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1790.77 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्य की धीमी गति, निविदा प्रक्रिया में देरी, आवासीय/कार्यालयी परिसर के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान नहीं हो पाने के कारण हुई।

(a) "Purchase, Manufacture and Distribution of Tear Smoke Material" - saving of ₹1087.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1265.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to slow pace of work.

(b) "Directorate of Coordination (Police Wireless)" - saving of ₹1560.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1620.00 lakhs); and

(c) "Central Forensic - Science Laboratory" - saving of ₹915.67 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2010.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh obtained in December, 2021).

Savings under the above two heads were due to slow pace of work and non-finalisation of proposals.

(d) "Research" - saving of ₹140670.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹198000.00 lakhs) was due to non-fructification of contractual obligation and delay in milestone payment of previous contracts of National Security.

(e) "Narcotics Control Bureau" - saving of ₹790.56 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1790.77 lakhs including token supplementary grant of ₹0.77 lakh obtained in December, 2021) was due to slow pace of construction work, delay in tendering process and non-identification of suitable land for construction of Residential/Official Complex.

(च) "राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी" – ₹911.80 लाख की बचत (₹4459.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी गति और कुछ प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(f) "National Investigation Agency" - saving of ₹911.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4459.00 lakhs) was due to slow pace of work and non-finalization of proposals.

(III) छह शीर्षों के अंतर्गत ₹2348.89 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख रुपए से अधिक किंतु ₹500.00 लाख रुपए से कम और कुल स्वीकृत प्रावधान के 43 प्रतिशत से 89 प्रतिशत तक थी।

(III) Under six heads savings of ₹2348.89 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 43 percent to 89 percent of the total sanctioned provision.

6.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹118422.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "4055" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत जुलाई, 2021, दिसम्बर, 2021 और मार्च, 2022 में ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था:–

6.(I) The above savings were partly (₹118422.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of ₹3.00 lakhs in July, 2021, December, 2021 and March, 2022 under Major Head "4055" - under the following heads :-

(का) "असम राइफल्स" –

(A) "Assam Rifles"-

(क) "कार्यालय भवन" – ₹7218.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹6978.00 लाख था।

(a) "Office Buildings" – ₹7218.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹6978.00 lakhs.

(ख) "आवासीय भवन" – ₹8200.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹7500.00 लाख था।

(b) "Residential Buildings" – ₹8200.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹7500.00 lakhs.

(खा) "सीमा सुरक्षा बल – भारत–तिब्बत सीमा पुलिस" – ₹6542.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹4216.30 लाख था।

(B) "Border Security Force – Indo-Tibetan Border Police" – ₹6542.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4216.30 lakhs.

(गा) "दिल्ली पुलिस" –

(C) "Delhi Police" –

(क) "दिल्ली पुलिस आवास संबंधी सार्वजनिक–निजी भागीदारी पहल" – ₹2600.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2599.80 लाख था।

(a) "Public Private Partnership Initiative on Delhi Police Housing" – ₹2600.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2599.80 lakhs.

(ख) "दिल्ली पुलिस भवन कर्यक्रम" – ₹4800.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक, व्यय ₹4797.26 लाख।

(b) "Delhi Police Building Programme" – ₹4800.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4797.26 lakhs.

(ग) "दिल्ली पुलिस के यातायात और संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण" – ₹9700.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹8565.91 लाख था।

(c) "Modernisation of Traffic & Communication Network of Delhi Police" - ₹9700.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹8565.91 lakhs.

(घा) "सशस्त्र सीमा बल –कार्यालय भवन" – ₹2980.00 लाख रुपए। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹2502.11 लाख था।

(D) "Sashastra Seema Bal - Office Buildings" – ₹2980.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2502.11 lakhs.

(ड.) "सीमा प्रबंधन" –

(क) "भारत–बंगलादेश सीमा निर्माण कार्य" – ₹762.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹651.91 लाख था।

(ख) "भारत–पाकिस्तान सीमा निर्माण कार्य"– ₹24687.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹24175.46 लाख था।

(ग) "भारत–चीन सीमा निर्माण कार्य" – ₹33233.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹33349.69 लाख था।

(घ) "भारत–म्यांमार सीमा निर्माण कार्य" – ₹2700.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹2290.73 लाख था।

(ङ) "भारत–नेपाल सीमा निर्माण कार्य" – ₹15000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹14999.99 लाख था।

(E) "Border Management"-

(a) "Indo-Bangladesh Border Works" – ₹762.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹651.91 lakhs.

(b) "Indo-Pak Border Works" – ₹24687.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹24175.46 lakhs.

(c) "Indo-China Border" – ₹33233.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹33349.69 lakhs.

(d) "Indo - Myanmar Border Works". ₹2700.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2290.73 lakhs.

(e) "Indo-Nepal Border Works" – ₹15000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹14999.99 lakhs.